न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 112 / 2022

1 सुमेरसिंह आयु करीब 60 साल पुत्र प्रसादीलाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती ओमपति स्त्री अशोककुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 नितु
4 सन्तोष पुत्रियां स्व. अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सुमन तथाकथित पुत्री महावीरप्रसाद
2 विनोद तथाकथित पुत्री महावीरप्रसाद तथाकथित जाति जाट तथाकथित निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 योगेन्द्र कुमार पुत्र
4 प्रमोद कुमार पुत्र
5 रेणु पुत्री स्व. अशोक कुमार जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती सुशीला पुत्री प्रसादीलाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
8 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2020
बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु.नं. 07/2013
मुकदमा उनवानी मु. सुमन बनाम सुमेरसिंह वगै. दावा
बाबत इस्तकरारहक खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2013 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 429 रकबा 3.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 3.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/605 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मु. कुआ व खसरा नम्बर 814/576 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.78 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम लाम्बा गोठड़ा तहत तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन का खातेदार प्रसादीलाल था। प्रसादीलाल का दिनांक 07.09.2012 को देहान्त हो चुका है। प्रसादीलाल के देहान्त होने के बाद ग्राम पंचायत लाम्बा गोठड़ा ने विरासतन नामान्तकरण संख्या 608 उक्त जमीन के बाबत खोला बाद में नामान्तकरण संख्या 608 सुमेरसिंह के हक में 1/3 हिस्से का तथा सुशीला पुत्री प्रसादीलाल के हक में 1/3 हिस्से का एवं प्रसादीलाल के मृतक पुत्र अशोककुमार के वारिसान औमपति स्त्री अशोक एवं योगेन्द्र, प्रमोद पुत्रगण अशोक एवं रेणू, नितु, सन्तोष पुत्रियां स्व. अशोक के हक में संयुक्त रूप

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से 1/3 हिस्से का नामान्तकरण दिनांक 05.11.2012 को स्वीकार किया गया। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.02.2020 को निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 429 रकबा 3.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 3.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/605 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मु. कुआ व खसरा नम्बर 814/576 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.78 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम लाम्बा गोठड़ा तहत तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन का पहले खातेदार प्रसादीलाल था जिसका दिनांक 07.09.2012 को देहान्त हो चुका है। प्रसादीलाल के चार पुत्र सुमेरसिंह, महावीरप्रसाद, सुरेन्द्र व अशोक पैदा हुये तथा एक पुत्री सुशीला पैदा हुई। उक्त प्रसादीलाल की स्त्री व पुत्र महावीरप्रसाद, अशोक व सुरेन्द्र का देहान्त प्रसादीलाल के जीवनकाल में हो चुका। प्रसादीलाल के पुत्र महावीरप्रसाद की शादी दुर्गावती नामक स्त्री से हुई थी। दुर्गावती व महावीरप्रसाद के नुत्फे से कोई सन्तान पैदा नहीं हुई तथा दुर्गावती व महावीरप्रसाद का तलाक हो गया उसके बाद दुर्गावति ने कोई दूसरी जगह शादी कर ली। उक्त प्रसादीलाल के पुत्र सुरेन्द्र का देहान्त अविवाहित रहते हो चुका है। उक्त प्रसादीलाल के पुत्र अशोक कुमार के वारिस अपीलान्ट नम्बर 2 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से 5 है। इस प्रकार प्रसादीलाल के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उतराधिकार में जरिये नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 05.11.2012 के माध्यम से अपीलान्ट सुमेरसिंह तथा अपीलान्ट नम्बर 2 से 4 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से 6 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलान्ट नम्बर 1 सुमेरसिंह तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 सुशीला प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/3 हक हिस्सा हुआ तथा अपीलान्ट नम्बर 2 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हुआ एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहे तथा इसी मुताबिक नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 05.11.2012 को सही रूप से

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (अन्य झुन्झुनूं)

स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 सुशीला ने अपने हिस्से की जमीन में से 1/2 हिस्से का त्याग अपीलान्ट सुमेरसिंह के हक मे कर दिया तथा 1/2 हिस्से की जमीन का हकत्याग संयुक्त रूप से स्व. अशोक के वारिसान के हक में कर दिया तथा बाद में उक्त सुमेरसिह व स्व. अशोक के वारिसान के मध्य उक्त जमीन का विभाजन कर लिया इस कारण अपीलान्ट नम्बर 1 सुमेरसिंह के हक में जमीन हाल खसरा नम्बर 1003/429 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 2.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/605 रकबा 0. 01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814/576 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 4. 89 हैक्टेयर जमीन अपीलान्ट सुमेरसिंह के हिस्सा में आई तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 1004/594 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 429 रकबा 3.56 हैक्टेयर कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर अपीलान्ट नम्बर 2 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से 5 को प्राप्त हुई। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायलय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। विचारण न्यायालय ने आदेश 09 नियम 07 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। कानून से तननिकी आधार पर पक्षकारान को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये। दिनांक 04.10.2019 को आदेश 09 नियम 07 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जानी चाहिये। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा को वादी ने अपने साक्ष्य से साबित नहीं किया। विचाराधीन निर्णय व डिकी गलत है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 स्व. महावीरप्रसाद के वारिस नहीं है। विवादित जमीन पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 का कब्जा काश्त भी नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई व जवाब देही का अवसर नहीं दिया। विचाराधीन निर्णय व डिकी गलत होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निणय व डिकी में जमीन के विभाजन बाबत विचाराधीन निर्णय व डिकी अस्पष्ट होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 608 के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपील नम्बर 01/2013 पेश की जो गलत रूप से दिनांक 17.02.2022 को गलत रूप से स्वीकार की। कानून से घोषणा के वाद के निर्णय के बाद नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त जमीन के बाबत दिनांक 28.12.2012 को घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेगुलर दावा पेश किया था। कानून से यहां वल्दियत का विवाद हो वहां सिविल न्यायालय से वल्दियत बाबत उतराधिकार की घोषणा करवानी चाहिये। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी सुमन व विनोद द्वारा ग्राम लाम्बा गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 428, 429, 594, 605, 780/605, 814/576 बाबत दावा उद्घोषणा, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण में तनकी कायम किये बिना, वादीगण की साक्ष्य प्राप्त किये बिना, दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित किये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय से उद्घोषणा की डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में वादिया द्वारा विभाजन का अनुतोष भी चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रकिया एवं साक्ष्य के अभाव में विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर